



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना बढापुर

दिनांक 18.09.2023

थाना बढापुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 60(2) आबकारी अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2023 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम मदपुरी से छापेमारी के दौरान 02 अभि0गण 1-रवि सिंह उर्फ लवप्रीत, 2-सोनू सिंह को 350 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण व एक मोटर साईकिल डिस्क्वर सहित गिरफ्तार किया गया था। 7000 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 72/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में अभियुक्त संदीप उर्फ गुरदीप पुत्र कृष्ण सिंह निवासी चम्पतपुर चकला थाना बढापुर बिजनौर काफी समय से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।



कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2023 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वांछित अभियुक्त संदीप उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र कृष्ण सिंह नि0 ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. संदीप उर्फ गुरदीप सिंह पुत्र कृष्ण सिंह नि० ग्राम चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास—

1. मु०अ०सं०—72 / 23 धारा 60(2) आबकारी अधि० थाना बढापुर बिजनौर
2. मु०अ०सं० 123 / 22 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना बढापुर बिजनौर
3. मु०अ०सं० 104 / 21 धारा 60(1) / 72 आबकारी अधि० थाना बढापुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ०नि० मुहम्मद यासीन थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2—उ०नि० श्री ललित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3—का० 86 रोहित चौधरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

थाना चांदपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित / वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शुभम पुत्र राम सिंह उर्फ पप्पू नि० ग्राम ककराला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता—

1– शुभम पुत्र राम सिंह उर्फ पप्पू नि० ग्राम ककराला थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना चांदपुर बिजनौर

2– उ०नि० श्री सुभाष तोमर थाना चांदपुर बिजनौर

3– का० 1411 भूदेव कुमार थाना चांदपुर बिजनौर

4– का० 182 मंजीत सिंह थाना चांदपुर बिजनौर